भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 972

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2024
7 श्रावण, 1946 (शक)

इनडोर मिनी स्टेडियम

972. श्रीमती मालविका देवी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सभी जिला मुख्यालयों में इनडोर मिनी स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कबड्डी और मलखम को ओलंपिक समिति में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिला स्तर पर खेलकूद में भाग लेने के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है / उठाए जाने हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) जी नहीं।

(ख) ओलंपिक खेलों में किसी खेल विधा को शामिल करने का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा किया जाता है। आईओसी अपेक्षा करती है कि खेल विधा ओलंपिक चार्टर के नियमों का पालन करने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा शासित हो। इसके अतिरिक्त, वह खेल दुनिया भर में व्यापक रूप से खेला जाता हो और विभिन्न अन्य मानदंडों को पूरा करता हो।

(ग) 'खेल' राज्य का विषय है इसलिए खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों मे सहायता करती है। इस मंत्रालय की खेल नीति का उद्देश्य पूरे देश में खेलों में व्यापक भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण खेल पारितंत्र को मजबूत करना है। यह युवाओं के बीच खेलों के विस्तृत

आधार को स्थापित करने और महिला खिलाड़ियों सहित संपूर्ण राष्ट्र में खेल कार्यकलापों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

इसके अलावा, खेलो इंडिया स्कीम के 'महिलाओं के लिए खेल' उप-घटक के अंतर्गत, महिला एथलीटों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया जाता है। इस पहल के अंतर्गत, विभिन्न खेलो इंडिया महिला लीग स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं, जिससे पूरे देश में खेलों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस पहल ने सभी आयु वर्ग की महिला एथलीटों को प्रतिस्पर्धा करने, सीखने और आगे बढ़ने का भरपूर अवसर प्रदान किया है।

*****